न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 34/2017

उनवान

1. मन्दिर श्री ठाकुर जी भगत बिहारी जी, चौमूं जरिये नेक्स्ट फेन्ड, जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मदनलाल, उम्र 35 वर्ष , जाति ब्राहम्ण निवासी शर्मा हॉस्पिटल के सामने, जयपुर रोड कस्बा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. मन्दिर श्री ठाकुर जी भगत बिहारी जी, चौमूं जरिये नेक्स्ट फेन्ड, नितिश भारद्वाज पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा, उम्र 34 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी रूघनाथ जी का मन्दिर चौपड कस्बा चौमूं तहसील चौमू जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. मुरारीलाल शर्मा पुत्र जौहरीलाल शर्मा , उम्र 65 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी शर्मा हॉस्पिटल के सामने, जयपुर रोड कस्बा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. योगेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मुरारीलाल शर्मा उम्र 35 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी शर्मा हॉस्पिटल के सामने, जयपुर रोड कस्बा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर
4. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, चौमूं जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः— 16.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके कस्बा चौमूं, पटवार हल्का चौमूं—बी, भू0अ0नि0 क्षेत्र चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर में वादीगण मन्दिर श्री ठाकुर जी भगत बिहारी जी के नाम की खातेदारी कब्जे काश्त के नाम की खातेदारी भूमि स्थित हैं, जिसके हाल खाता संख्या 672 के खसरा नम्बर 6881 रकबा 0.20 है0 खसरा नम्बर 6885 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 6890 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 6891 रकबा 0.85 है0, खसरा नम्बर 6892 रकबा 1. 20है0, खसरा नम्बर 6893 रकबा 0.03है0, खसरा नम्बर 6894 रकबा 0.18है0, खसरा नम्बर 6895 रकबा 0.06है0, खसरा नम्बर 6896 रकबा 0.07है0, खसरा नम्बर 6897 रकबा 0.09है0, खसरा नम्बर 6898 रकबा 0.06है0, खसरा नम्बर 6899 रकबा 0. 08है0, खसरा नम्बर 6900 रकबा 0.41है0, खसरा नम्बर 6901 रकबा 0.15 है0, कुल किता 14 का कुल रकबा 4.68 है0 स्थित है। वादीगण मन्दिर श्री ठाकुर जी भगत बिहारी जी शाश्वत नाबालिग हैं। वादीगण मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी भगत बिहारी जी, कस्बा चौमूं में स्थित हैं, का रख रखाव, देखबाल, पुजा—अर्चना वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा किया जा रहा है। वादीगण मन्दिर श्री ठाकुर जी भगत बिहारी जी के नक्स्ट फेन्ड है। इस हैसियत से वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। यह भूमि प्रस्तुत वाद पत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से अग्रिम मदों में सम्बोधित की जावेगी।

वर्तमान में जमीनों के भाव बढ़ जाने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 जो की वादीगण मन्दिर श्री ठाकुर जी भगत बिहारी जी की कृषि भूमि को खुर्द—बुर्द करने की नियत से इनके मन मे फितुर पैदा हो गया हैं, ने भू—माफिया गिराह से साजिश कर वादीगण नेक्स्ट फेन्ड मन्दिर कृषि भूमि की उक्त वादग्रस्त आराजीयात को छोटे छोटे टुकडों में विभक्त कर एवं निर्माण कार्य कर लेना चाहते हैं तथा मन्दिर की भूमि पर अन्य दीगर व्यक्तियों को किराये पर देकर कब्जा करवा देना

Scanned by CamScanner

चाहते है जिसका की प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को कतई कोई वैधानिक हक, अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इस गैर कानूनी कृत्य में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा भू–माफिया गिरोह के लोगों से सांठगाठ कर रखी है।

वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्ध फरमावे की वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजीयात वाके कस्बा चौमूं, पटवार हल्का चौमूं–बी, भू0अ0नि0 क्षेत्र चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर में वादीगण मन्दिर श्री ठाकुर जी भगत बिहारी जी के नाम की खातेदारी कब्जे काश्त के नाम की खातेदारी भूमि स्थित हैं, जिसके हाल खाता संख्या 672 के खसरा नम्बर 6881 रकबा 0.20 है0 खसरा नम्बर 6885 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 6890 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 6891 रकबा 0.85 है0, खसरा नम्बर 6892 रकबा 1.20है0, खसरा नम्बर 6893 रकबा 0.03है0, खसरा नम्बर 6894 रकबा 0.18है0, खसरा नम्बर 6895 रकबा 0.06है0, खसरा नम्बर 6896 रकबा 0.07है0, खसरा नम्बर 6897 रकबा 0.09है0, खसरा नम्बर 6898 रकबा 0.06है0, खसरा नम्बर 6899 रकबा 0.08है0, खसरा नम्बर 6900 रकबा 0.41है0, खसरा नम्बर 6901 रकबा 0.15 है0, कुल किता 14 का कुल रकबा 4.68 है0 स्थित है। वादीगण मन्दिर श्री ठाकुर जी भगत बिहारी जी शाश्वत नाबालिग हैं।, की कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजीयात् पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करें, ना ही उक्त कृषि भूमि आराजीयात् को किसी व्यक्ति, हाउसिंग सोसायटी अथवा संस्था के हक में रहन, व्यय, विक्रय नहीं करें, ना ही कृषि भुमि को अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तित करें, ना ही किसी व्यक्ति को किराये पर देवें अथवा कब्जा करवायें, ना ही मौके पर स्थित पेडों को काटे, ना ही सींव डोल में किसी प्रकार की कोई काट छांट या परिवर्तन करें, ना ही मौके पर रोड बिछाये, ना ही छोटे–छोटे भूखण्डों के रूप में विभक्त करें, ना ही कोई बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करें, ना किसी प्रकार के कोई हाउसिंग सोसायटी के पट्टे जारी करें। प्रतिवादीगण संख्या 3 मन्दिर के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजीयात् के राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करें तथा ना ही किसी प्रकार का कोई परिवर्तन मौके पर गैर कृषि प्रयोजनार्थ होने दे। प्रतिवादीगण संख्या 4 वादग्रस्त भूमि क सम्बन्ध में प्रस्तुत होने वाले किसी भी दस्तावेज विक्रय पत्र, सोसायटी पट्टे इत्यादि को पंजीबद्ध नहीं करें, ना ही किसी प्रकार का कोई हस्तानान्तरण पत्र पंजीबद्ध करें। उक्त समस्त प्रकार की कार्यवाही प्रतिवादीगण के अतिरिक्त उनके ऐजेन्ट सर्वेन्ट के द्वारा भी नही की जावें।

वादीगण के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। परिवादीगण बावजुद तलबी अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि हाल खाता संख्या 672 के खसरा नम्बर 6881 रकबा 0.20 है0 खसरा नम्बर 6885 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 6890 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 6891 रकबा 0.85 है0, खसरा नम्बर 6892 रकबा 1.20है0, खसरा नम्बर 6893 रकबा 0.03है0, खसरा नम्बर 6894 रकबा 0.18है0, खसरा नम्बर 6895 रकबा 0.06है0, खसरा नम्बर 6896 रकबा

Scanned by CamScanner

0.07है0, खसरा नम्बर 6897 रकबा 0.09है0, खसरा नम्बर 6898 रकबा 0.06है0, खसरा नम्बर 6899 रकबा 0.08है0, खसरा नम्बर 6900 रकबा 0.41है0, खसरा नम्बर 6901 रकबा 0.15 है0, कुल किता 14 का कुल रकबा 4.68 है0 वाके कस्बा चौमूं पटवार हल्का चौमूं–बी, भू0अ0नि0 क्षेत्र चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– हिम्मत सिंह

मु.न. 34/2017

उनवान

1. मन्दिर श्री ठाकुर जी भगत बिहारी जी, चौमूं जरिये नेक्स्ट फ्रेन्ड, जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मदनलाल, उम्र 35 वर्ष , जाति ब्राहम्ण निवासी शर्मा हॉस्पिटल के सामने, जयपुर रोड कस्बा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. मन्दिर श्री ठाकुर जी भगत बिहारी जी, चौमूं जरिये नेक्स्ट फ्रेन्ड, नितिश भारद्वाज पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा, उम्र 34 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी रूघनाथ जी का मन्दिर चौपड कस्बा चौमूं तहसील चौमू जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. मुरारीलाल शर्मा पुत्र जौहरीलाल शर्मा , उम्र 65 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी शर्मा हॉस्पिटल के सामने, जयपुर रोड कस्बा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. योगेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मुरारीलाल शर्मा उम्र 35 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी शर्मा हॉस्पिटल के सामने, जयपुर रोड कस्बा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर
4. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, चौमूं जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि भूमि हाल खाता संख्या 672 के खसरा नम्बर 6881 रकबा 0.20 है0 खसरा नम्बर 6885 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 6890 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 6891 रकबा 0.85 है0, खसरा नम्बर 6892 रकबा 1.20है0, खसरा नम्बर 6893 रकबा 0.03है0, खसरा नम्बर 6894 रकबा 0.18है0, खसरा नम्बर 6895 रकबा 0.06है0, खसरा नम्बर 6896 रकबा 0. 07है0, खसरा नम्बर 6897 रकबा 0.09है0, खसरा नम्बर 6898 रकबा 0.06है0, खसरा नम्बर 6899 रकबा 0.08है0, खसरा नम्बर 6900 रकबा 0.41है0, खसरा नम्बर 6901 रकबा 0.15 है0, कुल किता 14 का कुल रकबा 4.68 है0 वाके कस्बा चौमूं, पटवार हल्का चौमूं–बी, भू0अ0नि0 क्षेत्र चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर खुले न्यायालय मे आज तारीख 16.12.2019 को जारी किया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मोहर

Scanned by CamScanner

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.01 08:20:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: